



कार्यालय, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

(प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 210, जिला कार्यालय भवन सूरजपुर)

Email - pmayg.surajpur@gmail.com Phone/Fax : 07775-266152,9244049285

—:विज्ञापन:—

सूरजपुर दिनांक ०८/०९/२०२६

क्रमांक/५०१८/प्र.मं.आ.यो.-ग्रा०/जि०पं०/२०२६ :: संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-१९ नार्थ ब्लॉक छ०ग० नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/२६५७/प्र.मं.आ.यो.ग्रा/२०२६ नवा रायपुर अटल नगर दिनांक २९.०५.२०२६ के द्वारा विकासखण्ड स्तर पर रिक्त विकासखण्ड समन्वयक के पद पर भर्ती हेतु अनुमति प्राप्त हुआ है। जिसके परिपालन में संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-१९ नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर छ०ग० का पत्र क्रमांक/१२५१/प्र.मं.आ.यो.ग्रा/स्था/३१/२०२४ अटल नगर नवा रायपुर दिनांक २०.०९.२०२४ में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन विज्ञापन जारी किया जा रहा है। उक्त पद हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रकाशन तिथि दिनांक ०८-०९-२०२६ से २५-०९-२०२६ तक कार्यालयीन समय सायं ५.३० बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सूरजपुर, जिला सूरजपुर छ०ग० के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संविदा रिक्त पद का नाम, संख्या व पद संवर्ग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम			पद संख्या	
1	2			3	
1	विकासखण्ड समन्वयक			अनुसूचित जनजाति - 01 पद (मुक्त)	
कुल पद :-				02	
क्र	पदनाम	संविदा वेतन	अर्हता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
01	विकासखण्ड समन्वयक	39875/- (लेवल 10)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी.ई. /बी.टेक. में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न	हायर सेकेन्ड्री में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए	30
				शासकीय/ गैर शासकीय कार्य का अनुभव पर 100 अंको का Weightage देते हुए (प्रत्येक वर्ष हेतु 04 अंक) अधिकतम 20 अंक	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंको का Weightage देते हुए	20
				साक्षात्कार पर 100 अंको का Weightage देते हुए	10
				प्राथमिकता 1. शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव को प्राथमिकता।	

०८

Rohan K. Singh

२०२६

१३

१३

			योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	2. निर्माण कार्य से संबंधित कार्य अनुभव को प्राथमिकता।
--	--	--	--	--

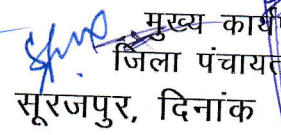
उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के नाम से प्रकाशन तिथि दिनांक 08-09-2026 से 25-09-2026 तक कार्यालयीन समय सायं 5.30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी। आयु के प्रमाण स्वरूप 10 वीं की स्वप्रमाणित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। स्वप्रमाणित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।
5. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय का जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, सम्पर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नम्बर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जावेगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट लगाया जावेगा, उतनी अवधि का ही अनुभव का अंक दिया जावेगा।
6. प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा, वरीयता क्रम के आधार पर कौशल/लिखित परीक्षा के लिए एक पद के विरुद्ध 15 आवेदकों को बुलाया जावेगा। शैक्षणिक योग्यता, कौशल/लिखित परीक्षा एवं अनुभव के अंक में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। प्रतिक्षा सूची में क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को 01 वर्ष हेतु प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा, यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतिक्षा सूची से लिया जावेगा। प्रतिक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
7. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा कि अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदकों को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब के आधार पर औसत प्रतिशत प्रदान किया जावेगा।
8. आवेदक को छ0ग0 राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
9. संविदा नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्त के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
11. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 2012 से 1965 से शासित होंगे।
13. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

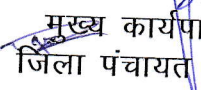
14. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
15. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदुपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
16. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
18. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
19. लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
20. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
21. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
22. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छुट दे सकता है।
23. फोटो एवं संलग्न दस्तावेज स्वंप्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जावेगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
24. नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
25. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है तथा जिला सूरजपुर की वेबसाइट www.surajpur.gov.in/ www.surajpur.nic.in पर देखा जा सकता है।

 Rohan Kumar Singh

क्रमांक/4009/जि0पंचा0/PMAY-G./2026
प्रतिलिपि :-

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)
सूरजपुर, दिनांक 08/09/2026

1. संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर -19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला सूरजपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूरजपुर को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. जनसंपर्क कार्यालय जिला सूरजपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला सूरजपुर को सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय सूचना पटल।

 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर, (छ.ग.)

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

आवेदित पद का नाम

स्वयं द्वारा
सत्यापित
पासपोर्ट साईज
फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सूरजपुर
जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

- आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में :
(ब) अंग्रेजी में :
- लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :
- जन्म तिथि (अ) अंको में :
(ब) शब्दों में :
(स) दिनांक 01.01.2026 को आयु वर्ष :.....माह.....दिन.....
- वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा/अपिव) :
- पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :
:
:
- स्थायी पता (हिन्दी में) :
:
:
- मोबाईल नम्बर :
- ई-मेल आई डी :
- आधार नंबर :
- शैक्षणिक योग्यता का विवरण:-

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
2							
3							
4							
5							
6							
7							

11. अनुभव का विवरण:-

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह

12. वैवाहिक स्थिति :-

क. विवाहित/अविवाहित:.....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे:.....

विवाह का दिनांक

ग. परिवार के संतान का विवरण :-

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

1. अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट

2.

3.

4.

5.

.....
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा -पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीयां पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक

स्थान

.....
आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर